



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35858

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 17985 वर्ष 2025

योगेन्द्र कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता

: उमेश चन्द्र प्रजापति

प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश चन्द्र प्रजापति तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पियूष शुक्ला को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का कथन है कि वह एक सफाई कर्मी (स्वीपर) के पद पर कार्यरत है। प्रकरण अपराध संख्या 160 वर्ष 2021, धारा 406, 420, 467, 468, 471, 504, 506 एवं 120-बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दिनांक 23.01.2023 से 17.03.2023 तक कारागार में निरुद्ध रहने के कारण, याचिकाकर्ता को दिनांक 21.04.2023 को निलंबित कर दिया गया।
3. उक्त निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
4. इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका ग्रहण करते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता से निर्देश तलब किए गए थे।
5. आज निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर ग्रहण कर परिशिष्ट 'बी' के रूप में अंकित किया जाता है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को बिना किसी ठोस आधार के निलंबित किया गया है तथा इस संबंध में कोई दुराचार सिद्ध नहीं है। यह भी कहा गया कि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिकाकर्ता को एक मिथ्या प्रकरण में कारागार में निरुद्ध रखा गया था, जिसका वास्तविक तथ्यों से कोई संबंध नहीं है।

7. राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पियूष शुक्ला ने प्रस्तुत किया कि निलंबन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को इस आधार पर निलंबित किया गया कि वह दिनांक 23.01.2023 से 17.03.2023 तक एक आपराधिक प्रकरण में कारागार में निरुद्ध था, तथा अब दिनांक 11.12.2025 को आरोपपत्र भी निर्गत किया जा चुका है, अतः याचिकाकर्ता को विभागीय जाँच का सामना करना होगा।

8. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

9. प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता एक सफाई कर्मी/स्वीपर है तथा उसे इस आधार पर निलंबित किया गया कि वह प्रकरण अपराध संख्या 160 वर्ष 2021, उपर्युक्त धाराओं के अंतर्गत, दिनांक 23.01.2023 से 17.03.2023 तक कारागार में निरुद्ध रहा। आक्षेपित निलंबन आदेश से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीकृत है। वस्तुतः यह नहीं कहा जा सकता कि निलंबन आदेश ऐसे तथ्यों पर आधारित है जो अस्तित्व में नहीं हैं, विशेषकर तब जब आदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि कारागार में निरुद्ध रहने के कारण निलंबन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 4 के उप-नियम (3)(क) में ऐसी परिस्थिति का प्रावधान निहित है। चूँकि आरोपपत्र निर्गत किया जा चुका है, अतः याचिकाकर्ता को विभागीय जाँच का सामना करना होगा।

10. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी, याचिकाकर्ता के सहयोग के अधीन, प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर विभागीय जाँच को पूर्ण कर अंतिम निर्णय पारित करे। याचिकाकर्ता को नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा।

दिनांक: 18 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”